

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जनवरी 2016—माघ 1, शक 1937

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2016

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 6 नवम्बर 2015 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में ऊर्जा विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची “एक”

(1) ऊर्जा विभाग

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम—ऊर्जा विभाग (म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पदों के विरुद्ध की जाने वाली नियुक्तियां	स्वीकृत पदों की संख्या का 6 प्रतिशत	वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पदों के विरुद्ध की जाने वाली नियुक्ति का 6 प्रतिशत	वर्ष 2015-16 में स्वीकृत पदों के विरुद्ध की जाने वाली नियुक्तियों के विरुद्ध चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (7+8+9)	टीप
						अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
तृतीय श्रेणी.	कार्यालय सहायक श्रेणी-3 (संविदा).	971	616	58	37	13	12	12	37	—
योग . .		971	616	58	37	13	12	12	37	—

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) स्कूल शिक्षा विभाग

प्रस्ताव क्रमांक—एक

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम—स्कूल शिक्षा विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या			योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
स्थानीय निकाय पंचायत/नगर निकाय के पद हैं. अतः श्रेणी का उल्लेख नियमों में नहीं है.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1	7255	7255	435	145	145	145	435	—
योग . .		7255	7255	435	145	145	145	435	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2	14111	14111	847	283	282	282	847	—
	योग . .	14111	14111	847	283	282	282	847	—
	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3	28865	28865	1732	578	577	577	1732	—
	योग . .	28865	28865	1732	578	577	577	1732	—

प्रस्ताव क्रमांक-दो

विभाग का नाम—(स्कूल शिक्षा विभाग)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित अस्थि बाधित	पद/संवर्ग एवं दृष्टि बाधित	संख्या श्रवण बाधित	योग (6+7+8)	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी में छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
स्थानीय निकाय पंचायत/ नगर निकाय के पद हैं. अतः श्रेणी का उल्लेख नियमों में नहीं है.	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (प्रयोगशाला)	2768	2768	166	56	55	55	166	—
	योग . .	2768	2768	166	56	55	55	166	—
	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम)	860	860	52	18	17	17	52	—
	योग . .	860	860	52	18	17	17	52	—
	संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (संगीत)	700	700	42	14	14	14	42	—
	योग . .	700	700	42	14	14	14	42	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर अगनानी, सचिव.